110

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.6(10)राज-6/99/8 जयपुर, दिनांक: 15 फरवरी, 2001

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) की धारा 90-क और 102 के साथ पठित धारा 261 की उप-धारा (2) के खण्ड (xl-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व (ईंट भट्टों के स्थापन के लिए कृषि भूमि का आवंटन और संपरिवर्तन) नियम, 1987 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व (ईंट भट्टों के स्थापन के लिए कृषि भूमि का आवंटन और संपरिवर्तन)(संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 7 का संशोधन.- राजस्थान भू-राजस्व (ईंट भट्टों के स्थापन के लिए कृषि भूमि का आवंटन और संपरिवर्तन) (संशोधन) नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "और सिंचित या चाही भूमि का इस प्रकार से आवंटन या संपरिवर्तन राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय नहीं किया जायेगा।" हटायी जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(हस्ताक्षर)
शासन उप सचिव